Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 1, JAN - 2022 Publication Date: 31/01/2022

DOIs:10.2018/SS/202201010 --:-- Research Article

सहारनपुर नगर निगम में बाल श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. रत्ना त्रिवेदी
एसोसिएट प्रोफेसर
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग)
मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका
गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
Email - ratnadolly@gmail.com

बृजेश कुमार
शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग
मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका
गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
Email - kumar1802brijesh@gmail.com

शोध सार : बालश्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो किसी न किसी रूप में सभी देशों या समाजों में हर समय उपस्थित रहा है भारत जैसे विकासशील देश में भी यह बहुतायत रूप में देखा जाता है। कानून और संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसे गैरकानूनी घोषित किया गया है लेकिन फिर भी समाज के अधिकांश व्यक्ति कुछ ज्यादा फायदे के लिए इसे बढ़ावा देने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते। वैसे तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है लेकिन यह शोध कार्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के मुख्यालय सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र से संबंधित है । इस क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्रों के साथ विभिन्न असंगठित स्थानों पर बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए देखा जा सकता है। यह संपूर्ण अध्ययन उन्हीं बाल श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक दशाओं का विश्लेषण करने से संबंधित है जिनको 6 से 14 आयु वर्ग तक कार्य करने पर संपूर्ण भारत में संवैधानिक व कानूनी रूप से मनाही है ।

मुख्य शब्द : बालश्रम, बालश्रमिक, अधिकार ,सुरक्षा, गरीबी, अधिनियम ।

1. प्रस्तावना:-

बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो सभी नगरों एवं गांव में मकड़जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए हुए हैं। खेलने कूदने के दिनों में अगर कोई बच्चा श्रम करने को मजबूर हो जाए तो इससे बड़ी विडंबना किसी देश व राष्ट्र के लिये और क्या हो सकती है। पिछले कुछ समय से कोविड-19 महामारी के चलते बढ़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है ।लगातार बढ़ते लॉकडाउन की स्थिति ने बाल श्रम को समाप्त करने की विभिन्न कोशिशों को कमजोर करने में लगी है । बाल श्रम रोजगार का एक ऐसा प्रकार है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था की उम्र में करता है जिसे कानून के द्वारा अवैध भी माना जाता है। बाल श्रम शारीरिक मानसिक सामाजिक व नैतिक रुप से खतरनाक वा हानिकारक होता है । स्वयं बाल श्रमिक व उनके अभिभावक या माता-पिता बाल अधिकारों की जानकारी से काफी दूर होते हैं जिस कारण इसको बढ़ावा मिलता है। प्राचीन समय में बाल श्रम सभी सामाजिक व्यवस्था का अंग हुआ करता था लेकिन आज के समय में यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में कैंसर की तरह फैल गया है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे बच्चों को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'मैं देश के हर बच्चे की आंखों में आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर देखता हूं'।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 05 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं जिनमें से 8.1 मिलीयन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक 23% और खेतिहर मजदूरों 32.9% के रूप में कार्यरत हैं। 1979 में भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या के निराकरण के उपाय सुलझाने हेतु गुरुपात स्वामी समिति का गठन किया था जिसका कथन था कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम को हटाना संभव नहीं है । इन्हीं की सिफारिश से बाल मजदूरी (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। कृषक क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या अधिक पाई जाती है जिसमें लड़कियों की संख्या

सबसे ज्यादा होती है। बाल मजदूर लड़कियों के काम की मात्रा भी अधिक होती है । ज्यादातर बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र व नगरों के असंगठित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक प्रभावशाली समाचार पत्र 'बाल श्रम के अर्थशास्त्र' पर अमेरिकी आर्थिक समीक्षा 1998 में कौशिक बसु व हुआंगवान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता-पिता की गरीबी है।

भारत जैसे विकासशील देशों में बाल श्रम अधिक तो पाया ही जाता है लेकिन साथ ही संयुक्त अरब अमीरात व कतर जैसे देशों में ऊंटों की दौड़ में छोटे बालकों का इस्तेमाल करके बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है तथा बाल अधिकारों का हनन भी किया जाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खुद के भविष्य व जीवन से संबंधित सही दिशा व दशा का ज्ञान होना जरूरी होता है भारतीय समाज में भिन्न ऋषि-मुनियों व विद्वानों ने छोटे बच्चों की तुलना कच्ची मिट्टी से किया है और कहा है कि 'प्रत्येक बच्चा उस कच्ची मिट्टी के समान होता है जिसे जिस रूप व आकार में ढाला जाए वह उसी के अनुसार बन जाता है।

बाल श्रम से संबंधित विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारत में अनेक कानून व नीतियां बनाई गई हैं जैसे धारा 24 के अनुसार कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी फैक्ट्री या खादान में काम नहीं करेगा। कारखाना अधिनियम 1948, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य करने को निषेध करता है। बाल श्रम की समस्या से जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। बाल श्रमिकों को रोजगार में नौकरी देने के संबंध में अनेक अधिनियम कानून बनाए गए हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1951, तथा खान अधिनियम 1952 आते हैं। हाल ही में बाल श(निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 पारित हुआ जिसमें 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर सभी क्षेत्रों में काम करने पर पूर्ण रूप से रोक का प्रावधान किया गया है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार के अंतर्गत मानव के दुरव्यापार व बालश्रम का प्रतिषेध करता है। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में बाल श्रम अपनी पराकाष्ठा पर विद्यमान है। अनेक संवैधानिक उपायों के बावजूद निरक्षरता की स्थिति चिंताजनक है और इसकी वजह से बाल मजदूरी जैसी घिनौनी प्रवृत्ति पनप रही है। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता बच्चों को मजदूर बनने से रोकने का सबसे कारगर तरीका है इसके बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार ज्यादा चिंतित नहीं रहती हैं । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के संदर्भ में भारत की स्थिति ठीक नहीं है जिस कारण से भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता रहा है।

2. अध्ययन का उद्देश्य:-

- अध्ययन के द्वारा बाल श्रमिकों के रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना ।
- अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों के सामाजिक संरचना व आर्थिक समस्याओं का अवलोकन करना ।
- सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के बाल श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का परीक्षण आत्मक विश्लेषण करना ।
- बाल श्रम की इस सामाजिक कुरीति के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाना ।

3. उपकल्पना:-

- बाल श्रम अपने बाल अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।
- अशिक्षा व गरीबी एवं सामाजिक पिछड़ापन बालश्रम का प्रमुख कारण है।
- बालश्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्यत: खराब होती है जो संतोषजनक होने से भी काफी दूर है ।

4. शोध विधि एवं प्रविधि:-

किसी भी शोध अध्ययन में शोध विधि व प्रविधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इस अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यों का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के द्वारा विभिन्न आंकड़े व अध्ययन से संबंधित नक्शों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का सर्वप्रथम अवलोकन करने के पश्चात यादृच्छिक निदर्शन विधि को अपनाते हुए 50 बाल श्रमिकों से प्राथमिक तथ्य संकलित किया गया है क्योंकि उत्तर दाताओं की संख्या व स्थान निश्चित ना होने के कारण संगणना विधि द्वारा तथ्य संकलित करना संभव नहीं था इसलिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना अध्ययन में अति आवश्यक था। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग अध्ययन में किया गया है। तथ्यों का विभिन्न प्रकार की सारणी व ग्राफों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है जिससे अध्ययन को उपयोगी व प्रभावी बनाया जा सके।

5. अध्ययन क्षेत्र:-

सहारनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर जिले का मुख्यालय सहारनपुर नगर निगम के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर की काष्ठकला, कागज उद्योग जैसे लघु उद्योग इसे अलग पहचान दिलाते हैं। 2011 के अनंतिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 703345 है। तथा पूरे जिले की जनसंख्या

3464228 है। इसका लिंगानुपात 898/1000 है। यह जिला गंगा एवं यमुना की पवित्र नदियों के बीच फैली हुई दोआब जमीन के उत्तरी भाग से बना है। सहारनपुर जिले की सीमाएं तीन राज्य उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश से मिली हुई हैं। पूरा सहारनपुर नगर निगम 70 वार्डों में बटा हुआ है।

सहारनपुर जनपद

सहारनपुर नगर निगम

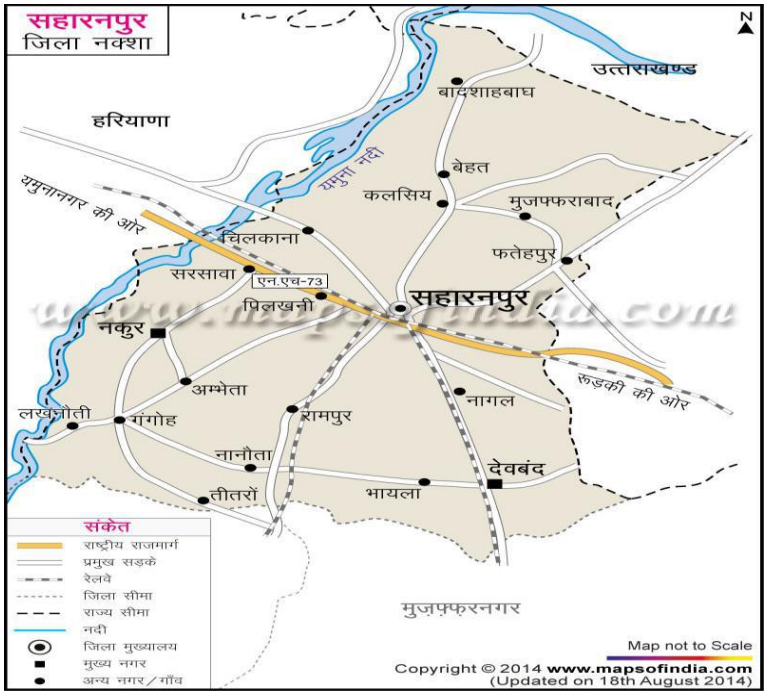

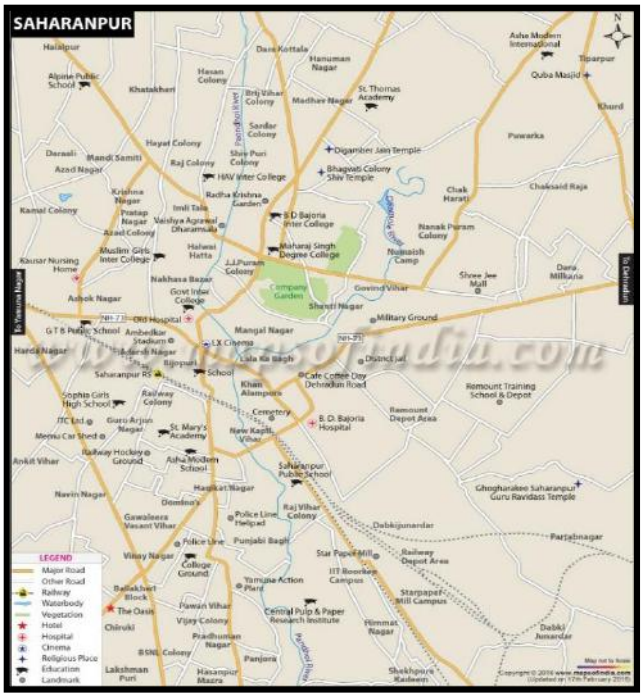

5.1 सामाजिक प्रस्थिति:-

इस अध्ययन के स्वरूप को समझते हुए सर्वप्रथम बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा गया । जिसके अंतर्गत बाल श्रमिकों के रहने का स्थान यानी घर व कमरों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। साथ ही शिक्षा, बिजली की व्यवस्था, खाद्य सामग्री, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को अवलोकन के माध्यम से देखा गया है। जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक ताने-बाने को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं ।

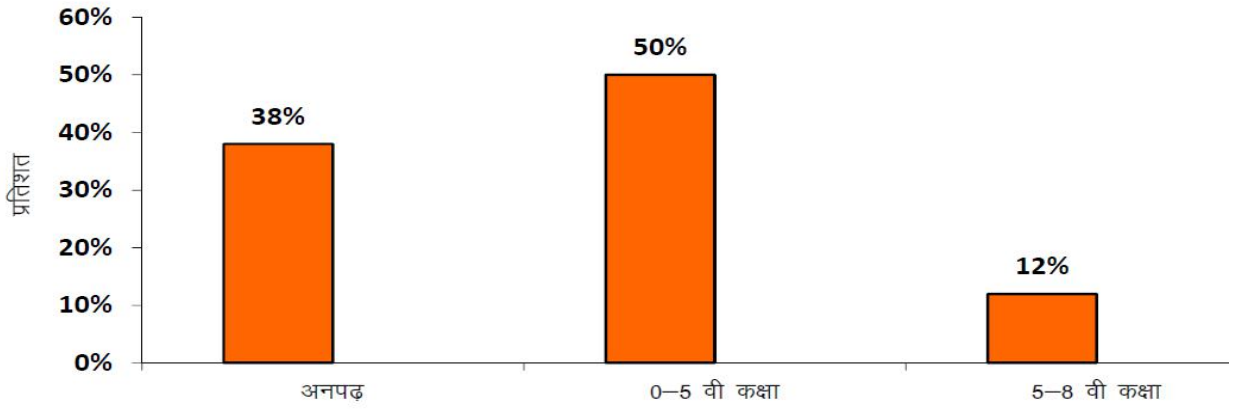

चार्ट- 1 सहारनपुर नगर निगम में बालश्रमिकों में शिक्षा (संख्या प्रतिशत में)

चार्ट- 1 अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि ज्यादातर बाल श्रमिकों में शिक्षा की कमी रही है। ऐसे बाल श्रमिक जिनकी संख्या सर्वाधिक अध्ययन में पाई गई वह मात्र पांचवी कक्षा तक पढ़े हुए हैं उनका प्रतिशत सर्वाधिक 50% है । तथा 38% ऐसे बाल श्रमिक हैं जो की पूरी तरह से अनपढ़ हैं । मात्र 12% बाल श्रमिक पांचवी कक्षा से ऊपर की पढ़ाई से सम्बद्ध रहे हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी पाया गया कि जहां पर बाल श्रमिक रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं जो 90% के आसपास है तथा व्यक्तिगत रूप से किराए पर 4% और फुटपाथ पर 6% बाल श्रमिक रहने के लिए मजबूर हैं जो चार्ट संख्या - 2 से पता चलता है ।

चार्ट-2 सहारनपुर नगर निगम के बाल श्रमिकों की रहने की जगह (संख्या प्रतिशत में)

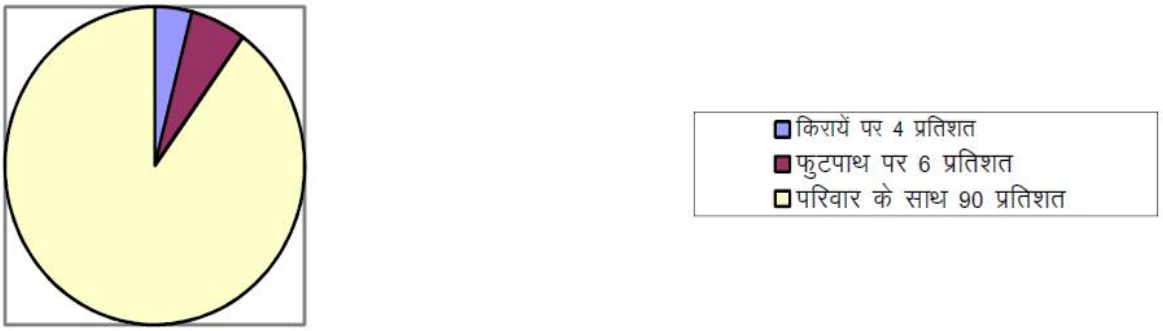

चार्ट- 3 सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के बाल श्रमिकों की नागरिक सुविधाएं (संख्या प्रतिशत में)

चार्ट 3.1 बिजली की उपलब्धता चार्ट 3.2 शौचालय की सुविधा

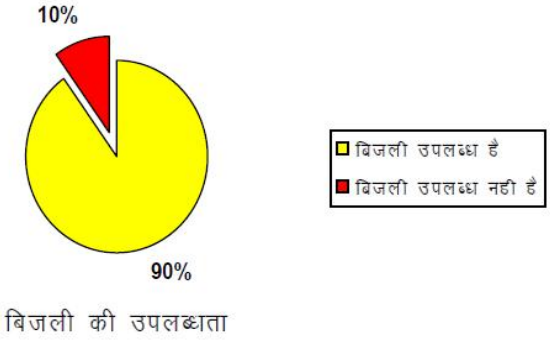

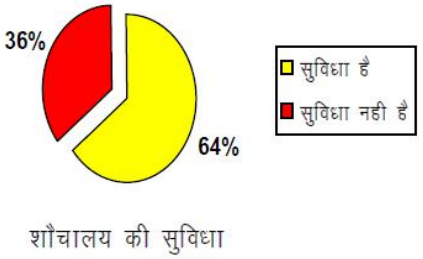

चार्ट 3.1 से पता चलता है कि आज भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजली की सुविधा से बिल्कुल दूर है 10% बाल श्रमिकों ने बताया कि उनके पास बिजली उपलब्ध नहीं है और वह मोमबत्ती या अन्य सुविधाओं से अपना काम चलाते हैं। साथ ही अध्ययन में यह भी पाया गया है कि मात्र 64% बाल श्रमिकों के पास शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध है बाकी के अन्य सभी रेल की पटरी, सड़क, पार्क, नालो जैसे स्थानों पर टॉयलेट करने के लिए मजबूर हैं जिसे चार्ट 3.2 में स्पष्ट किया गया है

अध्ययन के दौरान दिन प्रतिदिन की घटनाओं में यह देखा गया कि अधिकतर बाल श्रमिक कार्य के साथ-साथ पढ़ाई भी करते हैं कुछ बाल श्रमिक जहां काम करते हैं वहीं पर उनका निवास भी होता है ज्यादातर बाल श्रमिक गरीब परिवार या गंदी बस्ती में रहते हैं जिस कारण यह अक्सर बीमार भी रहते हैं ।

सारणी - 1 सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के बाल श्रमिकों के चिकित्सकीय उपचार (संख्या प्रतिशत में)

क्रम संख्या	उपचार/ इलाज का स्थान	प्रतिशत
01	सरकारी अस्पताल	32%
02	निजी अस्पताल	04%
03	मेडिकल स्टोर	64%
04	अन्य	कुछ नहीं
	कुल	100%

उपर्युक्त सारणी संख्या -1 में देखा जा सकता है की निजी अस्पतालों में मात्र 4% बाल श्रमिकों के द्वारा ही इलाज करवाया जाता है तथा ज्यादातर बाल श्रमिक सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज करवाते हैं अध्ययन में ऐसे बालश्रमिक की संख्या 32% पाई गई है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इनके पास रुपए की कमी होती है जिस कारण कम से कम पैसों से यह अपना इलाज करने के लिए विवश होते हैं। यही नहीं गंदी बस्ती में रहने के कारण या खराब माहौल के कारण इनकी आदतों पर बुरा असर पड़ता है तथा यह विभिन्न प्रकार के नशे के आदी होते हैं। अध्ययन में सम्मिलित बाल श्रमिकों में 68% बाल श्रमिक किसी ना किसी नशे के शिकार पाए गए हैं। सारणी संख्या 02 में बाल श्रमिकों में नशे के प्रकारों का वर्णन किया गया है जो निम्नवत है-

सारणी संख्या - 2 सहारनपुर नगर निगम के बाल श्रमिकों में नशे का तरीका (संख्या प्रतिशत में)

क्रम संख्या	नशे का प्रकार	प्रतिशत
01	शराब	08%
02	बीड़ी या सिगरेट	22%
03	तंबाकू या गुटखा	38%
04	अन्य नशा	कोई नहीं
05	नशा न करने वाले	32%

5.2 आर्थिक प्रस्थिति:-

इस अध्ययन में यह पाया गया है कि सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर ज्यादातर कार्यरत बाल श्रमिक कमर्शियल क्षेत्र वह फल सब्जी विक्रेता से संबंधित हैं । जिसमें से कार्य करने का भार किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा है । कोई बाल श्रमिक यदि 6 से 8 घंटे का कार्य करता है तो कोई कोई बालश्रमिक 10 से 12 घंटे तक भी काम में लगे रहते हैं । काष्ठ उद्योग, किराना स्टोर, चाय की दुकान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए बालश्रमिक देखे जाते हैं ।

सारणी - 3 सहारनपुर नगर निगम में बाल श्रमिकों के कार्य की प्रकृति (संख्या प्रतिशत में)

क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति	प्रतिशत
01	काष्ठ उद्योग	26%
02	किराना स्टोर	20%
03	ढाबा या चाय की दुकान	20%
04	फल सब्जी विक्रेता	24%

05	घरेलू सहायता	10%
	कुल	100%

सारणी - 3 के अनुसार अध्ययन में पाया गया कि नगर निगम सहारनपुर में सबसे ज्यादा 26% बाल श्रमिक काष्ठ उद्योग या लकड़ी उद्योग में कार्यरत हैं इसका मात्र एक कारण यही है कि सहारनपुर नगर निगम के अंदर काष्ठ उद्योग का कार्य सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त ढाबों व चाय की दुकानों पर भी इनकी संख्या अत्यधिक रही है घरेलू कार्यों में संलग्न बाल श्रमिकों की संख्या मात्र 10% पाई गई । घरेलू कार्यों से संबंधित बालश्रम को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है क्योंकि ऐसे बाल श्रमिक सिर्फ पार्ट टाइम में काम करते हैं और समय से स्कूल भी जाया करते हैं। सिर्फ घरेलू कार्य को छोड़कर अगर कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक कार्य करता है चाहे उसका कार्य करने का समय कितना भी कम हो या ज्यादा कानूनी रूप से अपराध ही है । अध्ययन में पाया गया कि बाल श्रमिक पांच छ: घंटे से लेकर 10 से 12 घंटे तक कार्य करते हैं और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा । जिसे चार्ट संख्या -4 में स्पष्ट किया गया है ।

चार्ट- 4 सहारनपुर नगर निगम में बाल श्रमिकों के कार्य करने का समय (संख्या प्रतिशत में)

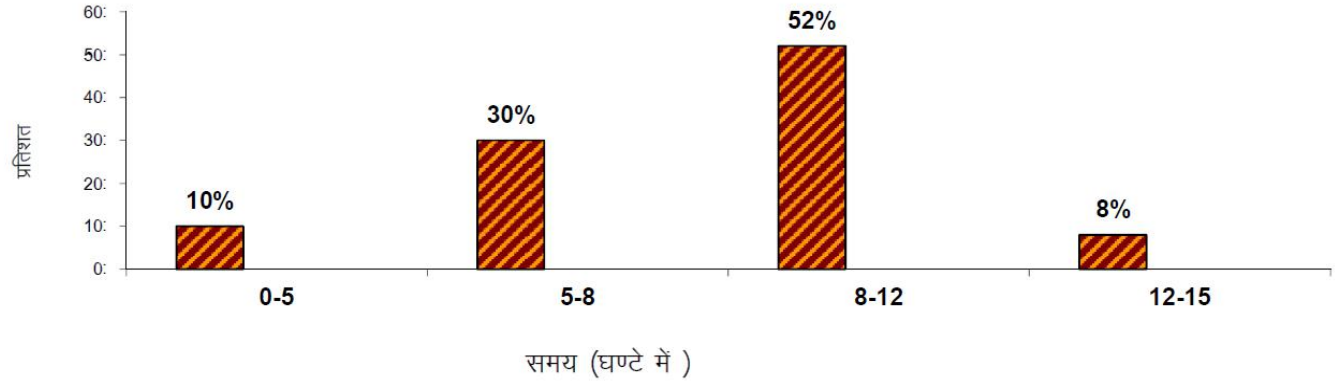

चार्ट-5 सहारनपुर नगर निगम में बाल श्रमिकों की मासिक आय (संख्या प्रतिशत में)

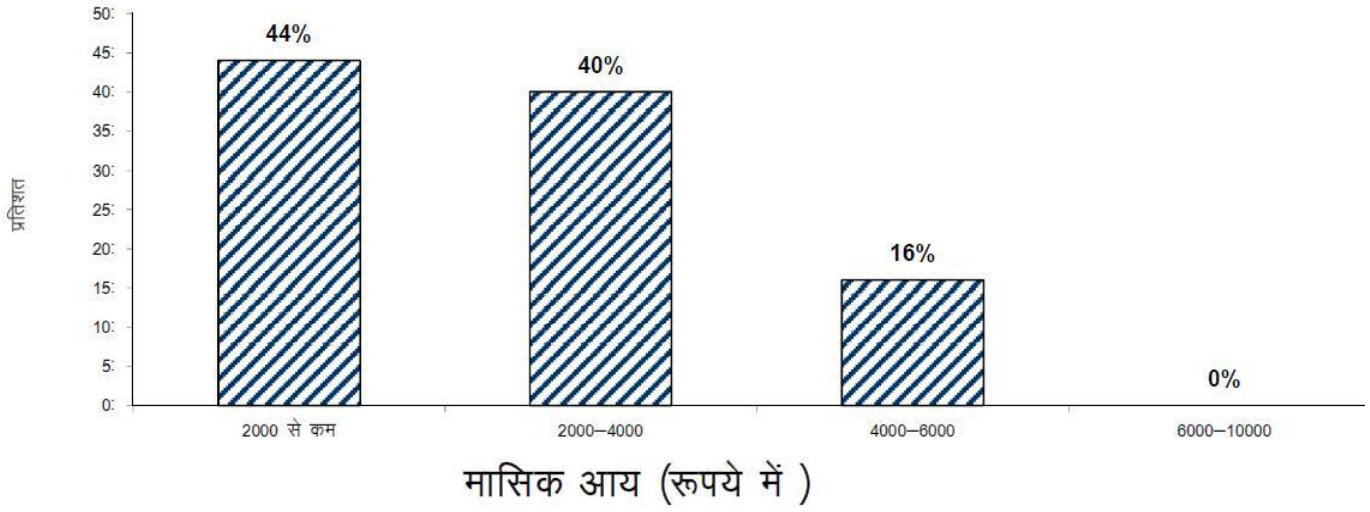

चार्ट - 5 बाल श्रमिकों की मासिक आय से संबंधित है। आज के इस महंगाई के दौर में भी बाल श्रमिकों को एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पाता है । अध्ययन में देखा गया है कि एक भी संख्या बाल श्रमिकों की नहीं है जिन्हें 6000 से ऊपर का वेतन मिलता हो । ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दयनीय होगी। 16% ही ऐसे बाल श्रमिक पाए गए जिन्हें रुपए 4000 तक वेतन मिलता है। अध्ययन से पता चला कि जिन बाल श्रमिकों को कुछ ज्यादा वेतन मिलता है वो अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने घर वालों को भी देते रहते हैं ।

6. निष्कर्ष और सुझाव:-

बाल श्रमिक ऐसे बालक या बालिकायें होते हैं जो अपनी बहुत ही कम उम्र में अपना अधिकाधिक श्रम बेचते हैं। अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक पिछड़ापन आदि बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। जिसकी वजह से बाल श्रमिकों की व उनके परिवार की स्थिति काफी निराशाजनक है । अध्ययन के लिए निश्चित की गई उपकल्पना भी इस निष्कर्ष से सही प्रतीत होती है । सामान्य रूप से अध्ययन में पाया गया कि खराब सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लिए शिक्षा से दूर होना एक प्रमुख कारण रहा है क्योंकि बाल श्रमिक व इनके माता-पिता बाल अधिकारों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि ज्यादातर बाल श्रमिक अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और मजबूरी वश काम करते हैं। गरीब होने की वजह से इनका ज्यादातर निवास गंदी बस्तियों , मोहल्लों में देखा गया है इसकी वजह से ये अक्सर किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और बीमार रहते हैं और अच्छे चिकित्सालय तक इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते हैं । समाज के अधिकांश लोग भी ऐसे बाल श्रमिकों की उपेक्षा करते हैं । एस के खन्ना ने अपनी पुस्तक 'चिल्ड्रन एंड दी हुमन राइट्स' में लिखा है कि समाज में बाल श्रमिकों की विभिन्न प्रकार से उपेक्षा की जाती है तथा उन्होंने अपनी पुस्तक में बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित सामाजिक एवं कानूनी सिद्धांतों की घोषणा भी की है ।

सहारनपुर नगर निगम एक लघु उद्योग क्षेत्र है जहां पर छोटे-छोटे कारखाने वा दुकाने हैं। ज्यादातर बाल श्रमिक इन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कम उम्र में काम करना व करवाना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है । इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में अत्यधिक बाल श्रमिक कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं जो बहुत अधिक समय तक कार्य करते हैं। जिससे उनकी शिक्षा प्राप्ति का सपना अधूरा ही रह जाता है और वेतन भी कम मिलने की वजह से इनकी मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं । बाल श्रम देश व समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है तथा इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाल श्रमिकों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी जो परिवार गरीब हैं उन्हें भी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सरकार के द्वारा स्कूल में मुफ्त शिक्षा खाना व दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं । दुकानों पर बिकने वाले सामान की तकनीक के बारे में भी पता करना चाहिए अगर उसके बनने में बाल श्रमिकों का हाथ हो तो लोगों को ऐसे सामान का बहिष्कार करना चाहिए तथा समाज के संपन्न व्यक्तियों को भी ऐसे बच्चों का थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार के सुझाव को अपनाकर हम बाल श्रम की अधिक से अधिक समस्या को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ सूची:-

1. खन्ना, एस. के (1998), "चिल्ड्रन एंड द ह्यूमन राइट्स, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स", न्यू डेल्ही।
2. नेहरू, पंडित जवाहरलाल, "नवभारत टाइम्स", 27 फरवरी 1960 ।
3. "ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड्स" द हिंदू (02 जून 2021) Web:- drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/child-labour-in-India.
4. गंगराड़े, के. डी.(1983), "वूमेन एंड चाइल्ड वर्कस इन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर: नान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव्स", कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली।
5. hi.wikipedia.org/wiki/बालश्रम।
6. बुर्रा, नीरा(2003), "राइट्स वर्सेस नीड्स: इज इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड?" (चाइल्ड, लेबर एंड द राइट्स टू एजुकेशन इन साउथ एशिया- नीड्स वर्सेज राइट्स- नैला कबीर, गीथा बी. नामबिशन, रम्मा सुब्रमनियन) सेज पब्लिकेशंस- न्यू डेल्ही, पी. पी. 73- 95
7. सुदर्शन, हरिदास रामजी(2007), "बालश्रम- अपराध एवं समाधान", साहित्यागार जयपुर।
8. भार्गव, प्रमिला एच(2012), "बाल मजदूरी उन्मूलन, किसका दायित्व ? (एक व्यावहारिक समाधान)" रावत पब्लिकेशन, जयपुर।